मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र0. सी. 5—1—2016—1—3 भोपाल, दिनांक मार्च, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपाल अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः—कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत्।
सन्दर्भः—इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक—सी. 5—1—2016—1—3, दिनांक 31.08.2016

संदर्भित परिपत्र द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3—12/2013/1—3, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के मापदण्ड अनुसार दिवगंत कर्मचारी के आश्रित को इसी सेवा की स्थापना के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिये गये हैं।

2— इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा के कर्मचारियों के लिये अनुकंपा नियुक्ति दिनांक 31.08.2016 से ही प्रभावशील है। इसके पूर्व के प्रकरण दिनांक 29.09.2014 को अनुकंपा नियुक्ति के जारी निर्देशों के प्रावधान अनुसार ही निराकृत किये जायेगें अर्थात उन्हें केवल अनुकंपा अनुदान की पात्रता होगी अनुकंपा नियुक्ति की नहीं। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(बी0बी0 [illegible])
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां0 क0.सी. 5—1—2016—1—3 भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2017

प्रतिलिपिः—

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन मध्यप्रदेश, भोपाल
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
(3) माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
(4) प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
(5) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
(6) महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश, भोपाल
(7) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
(8) रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यपदेश, जबलपुर।
(9) सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
(10) सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
(11) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
(12) महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
(13) प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय
(14) आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
(15) अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय मंत्रालय, भोपाल।
(16) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी0बी0 पड़वार)
उप सचिव
मध्य पद्रेश शासन
सामान्य प्रशासन.विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश, भोपाल
शाखा– प्रशासन –2, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक /स्था.–1/दै.वे.भो./ 5318 भोपाल, दिनांक 26/ 7 /2018

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),

मध्यप्रदेश।

विषयः– स्थायी कर्मियों को विनियमित करने के संबंध में।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन–।।) के पत्र क्र. 6872 दिनांक 13/9/2017 , पत्र क्र. 3423 दिनांक 17.5.2018 एवं पत्र क्र. 4919 दिनांक 7.7.2018।

---00---

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 दिनांक 07.10.2016 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को स्थायी कर्मी की श्रेणी दी जाकर, पात्रता अनुसार उनका वेतनमान निर्धारण करते हुये चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर चयन किये जाने हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। चयन समिति में संबंधित विभाग का कार्यालय प्रमुख सदस्य मनोनित है। समिति की बैठक कराने का दायित्व संबंधित जिले के कलेक्टर का निर्धारित किया गया है।

2/ वन वृत्तों से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में 6505 स्थाई कर्मी जिलों में कार्यरत है। स्थायी कर्मीयों में से जिले के अन्दर विभिन्न विभागो में चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्राथमिकता के साथ करने हेतु संबंधित वनमंडलाधिकारी को जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराने का प्रयास करना चाहिए।

अतः आपके अधीनस्थ समस्त वन मण्डलाधिकारियों को निर्देशित करे कि स्थायी कर्मियों को जिले के अन्दर चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराने का प्रयास करते हुये, की गई कारवाई का पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में इस कार्यालय को भेजेंगे।

(जव्वाद हसन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/दै.वे.भो./ 5319 भोपाल, दिनांक 26 / 7 /2018

प्रतिलिपि :– समस्त वनमंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2.8.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल